न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 12/2021 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा/ कोटडी	बनाम	1. श्री सोहन लाल माली पुत्र मदनलाल माली निवासी बांगड अस्पताल के पास, पथिक नगर, भीलवाडा, मालिक टाटा मोटर्स वर्कशॉप (डी.एन.मोटर्स) पालना जी देवनारायण मंदिर के सामने, ग्राम पंचायत मालोला जिला भीलवाडा 2. श्री आशीष शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा निवासी विजयनगर, जिला अजमेर स्टोरकीपर फर्म टाटा मोटर्स वर्कशॉप (डी.एन. मोटर्स) पालना जी देवनारायण मंदिर के सामने, ग्राम पंचायत मालोला जिला भीलवाडा 3. श्री पर्वत कुमार कीर पुत्र शांतिलाल कीर निवासी कीरखेडा पंचायत संतोषपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाडा मालिक ट्रक नम्बर आर.जे. 06 जीए 9934
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 24.08.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि पुलिस थाना प्रभारी पुर की सूचना पर दिनांक 30.09.2021 को 3.30 पीएम पर जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ाएवं अधोहस्ताक्षरकर्ता थाना परिसर पुर पहुंचे जहां सहायक उपनिरीक्षक गजेन्द्र सिंह मिले जिन्होंने बताया कि दिनांक 29.09.2021 को रात करीबन 11.30 पी.एम. पर गश्ती के दौरान पांसल चौराहा से आगे भीलवाड़ा बाईपास पर पालना जी देवनारायण मंदिर के सामने टाटा वर्कशॉप, पंचायत मालोला का निरीक्षण करने पर ट्रक नम्बर आर.जे. 06–जीए–9934 खड़ी मिली। जिसका निरीक्षण करने पर उसमें 09 सफेद प्लास्टिक ड्रम जिसमें कुछ खाली व कुछ भरे हुए मिले जिसमें बायोडीजलनुमा पदार्थ का भण्डारण पाया गया। ट्रक के पास खड़े आशीष शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा, निवासी विजयनगर, जिला अजमेर से ट्रक में भण्डारित ड्रम में भरे पदार्थ के बारे में पूछताछ की गई तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। फलस्वरूप उसे ट्रक सहित पुर थाना ले आया गया। सहायक उपनिरीक्षक से पूछताछ के बाद थाना परिसर पुर में ट्रक नम्बर आर.जे.06–जीए–9934 का निरीक्षण किया गया तो ट्रक में 9 सफेद प्लास्टिक टैंकों में से 8 टैंक खाली पाये गये एवं 01 टैंक में 700 लीटर बायोडीजल/मिलावटी डीजल/रासायनिक पदार्थ का भण्डारण पाया गया। ट्रक में

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

बिजली मोटर मय पाईप भी पाई गई। ट्रक में भण्डारित तरल पदार्थ के भण्डारण परिवहन व बिक्री के संदर्भ में कोई भी वैध कागजात नहीं मिला। ट्रक के निरीक्षण के बाद वर्कशॉप कार्मिक आशीष शर्मा का बयान कलमबद्ध किया गया। उसने बताया कि वह टाटा मोटर्स के वर्कशॉप डी.एन.मोटर्स में गत डेढ माह से स्टोरकीपर के रूप में कार्यरत है। उसने आगे बताया कि वर्कशॉप के गार्ड के बुलाने पर वह ट्रक के निकट आया जिसमें सफेद टैंकों में डीजलनुमा तरल पदार्थ भण्डारित था। इस तरल पदार्थ के भण्डारण परिवहन और विक्रय का कार्य वर्कशॉप मालिक सोहन लाल माली पुत्र मदनलाल माली निवासी बांगड़ अस्पताल के पास, पथिक नगर, भीलवाड़ा द्वारा ही किया जाता है। उसने बताया कि उसे डीजलनुमा पदार्थ की विक्रय दर की जानकारी नहीं है और ना ही उसे भण्डारित तरल पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। वाहनों में डीजलनुमा पदार्थ के बेचने का कार्य सोहनलाल माली द्वारा ही किया जाता है। उसके बयान से स्पष्ट हो गया कि वर्कशॉप मालिक सोहन लाल माली पुत्र मदनलाल माली निवासी बांगड़ अस्पताल के पास, पथिक नगर, भीलवाड़ा द्वारा अवैध रूप से डीजलनुमा पदार्थ का परिवहन, भण्डारण व विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिंट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। कार्मिक आशीष शर्मा की भूमिका भी संदिग्ध है। चूंकि पुलिस के अनुसार वर्कशॉप में मौके पर ट्रक नम्बर आर.जे.06–जीए–9934 के पास आशीष शर्मा खड़ा मिला। इसलिए उसकी भूमिका की जांच भी अपेक्षित है। ट्रक नम्बर आर.जे.06–जीए–9934 का पंजीयन पर्वत कुमार कीर पुत्र शांतिलाल कीर निवासी कीरखेड़ा पंचायत संतोषपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के नाम है। इस प्रकार आरोपियों सोहन लाल माली पुत्र मदनलाल माली निवासी बांगड़ अस्पताल के पास, पथिक नगर, भीलवाड़ा, आशीष शर्मा पुत्र मोहनलाल शर्मा, निवासी विजयनगर, जिला अजमेर एवं पर्वत कुमार कीर पुत्र शांतिलाल कीर निवासी कीरखेड़ा पंचायत संतोषपुरा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा द्वारा आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया है। अतः वजह सबूत आशीष शर्मा के कब्जे से ट्रक नम्बर आर.जे.06–जीए–9934 मय 700 लीटर मिलावटी डीजल/रासायनिक पदार्थ/बायोडीजल, बिजली मोटर व पाईप जब्त सरकार किया जाकर सुरक्षा एवं साक्ष्य की दृष्टि से पुलिस थाना पुर, मालखाना प्रभारी भंवरलाल हैड कॉन्सटेबल बेल्ट नम्बर 420 को सुपुर्दगी में दिया गया। मिलावटी डीजल/रासायनिक पदार्थ/बायोडीजल के वास्तविक स्वरूप के निर्धारण हेतु 02 एल्यूमिनियम बॉक्स जिन पर लड़की का कवर लगा है, में एक/एक लीटर का सैम्पल लिया जाकर उसे डीएसओ भीलवाड़ा की सील से सीलबद्ध किया गया। सैम्पल बॉक्स को क्रमशः 'A' एवं 'B' नामित किया गया जिसमें सैम्पल 'A' को पुलिस थाना पुर को जांच हेतु संभलाया गया जबकि सैम्पल 'B' को जिला रसद कार्यालय भीलवाड़ा में सुरक्षित रखा गया। ट्रक नम्बर आर.जे. 06–जीए–9934 में कोई भी बिल या बिल्टी या अन्य कागजात नहीं पाये गये। चूंकि आरोपियों सोहन लाल माली पुत्र मदनलाल माली निवासी बांगड़ अस्पताल के पास, पथिक नगर, भीलवाड़ा, आशीष शर्मा पुत्र मोहनलाल

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षीगणों द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत रूप से तरल मिलावटी डीजल /रासायनिक पदार्थ/बायोडीजल की कालाबाजारी का कार्य किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा ट्रक नम्बर आर.जे. 06–जीए–9934 मय 700 लीटर मिलावटी डीजल/रासायनिक पदार्थ/बायोडीजल, बिजली मोटर व पाईप को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्तशुदा ट्रक नम्बर आर.जे. 06–जीए–9934 मय 700 लीटर मिलावटी डीजल /रासायनिक पदार्थ/बायोडीजल, बिजली मोटर व पाईप को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा ट्रक नम्बर आर.जे. 06–जीए–9934 मय 700 लीटर मिलावटी डीजल /रासायनिक पदार्थ/बायोडीजल, बिजली मोटर व पाईप का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर अनुसार) प्राप्त राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा